प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

युगलपीठ : माननीय श्री राजीव गुप्ता, मुख्य न्यायधीश और

माननीय श्री सुनील कुमार सिन्हा, न्यायधीश

रिट अपील क्र. 122/2007

श्रीमती सुकान्ति नायक

बनाम

मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक एवं अन्य

आदेश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

विचारार्थ

सही/-
सुनील कुमार सिन्हा
न्यायाधीश

माननीय न्यायमूर्ति श्री राजीव गुप्ता
मैं सहमत हूँ।

सही/-

मुख्य न्यायाधीश

आदेश हेतु सूचीबद्ध दिनांक: 27.03.2008

सही/-
सुनील कुमार सिन्हा
न्यायाधीश

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

युगलपीठ : माननीय श्री राजीव गुप्ता, मुख्य न्यायधीश और

माननीय श्री सुनील कुमार सिन्हा, न्यायधीश

<u>रिट अपील क्र. 122/2007</u>

श्रीमती सुकांति नायक, पति स्वर्गीय श्री भास्कर नायक, उम्र लगभग 44 वर्ष, निवासी कुम्हारपारा, संतोषी वार्ड, जगदलपुर, जिला बस्तर (छ.ग.)

...अपीलकर्ता

बनाम

1. मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, स्थानीय प्रधान कार्यालय, होशंगाबाद रोड, भोपाल (म.प्र.)
2. उप महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, आंचलिक कार्यालय, छत्तीसगढ़ महाविद्यालय के पास, रायपुर (छ.ग.)
3. सहायक महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय, क्षेत्र-4, धरमपुरा रोड, जगदलपुर, जिला बस्तर (छ.ग.)
4. मुख्य प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, मुख्य शाखा, जगदलपुर, जिला बस्तर (छ.ग.)

...उत्तरवादीगण

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

<u>छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय (खंड पीठ में अपील) अधिनियम 2006 की धारा 2(1) के अंतर्गत अपील</u>

उपस्थित:

श्री आलोक देवांगन, अपीलकर्ता के अधिवक्ता`

श्री संजय के. अग्रवाल, उत्तरवादीगण के अधिवक्ता।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

<u>आदेश</u>

(27/03/2008)

न्यायालय द्वारा निम्नलिखित आदेश :-

<u>सुनील कुमार सिन्हा, न्यायाधीश द्वारा उद्घोषित किया गया</u>

(1) रिट याचिका संख्या 5715/2005 में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित दिनांक 27.2.2007 के आदेश से व्यथित होकर, अपीलकर्ता/याचिकाकर्ता ने यह रिट अपील प्रस्तुत की है।

(2) संक्षिप्त तथ्य यह है कि याचिकाकर्ता के पति श्री भास्कर नायक, भारतीय स्टेट बैंक, मुख्य शाखा, जगदलपुर, जिला बस्तर में सुरक्षा गार्ड के पद पर कार्यरत थे। 06.7.2000 को उनकी मृत्यु हो गई और वे अपने पीछे याचिकाकर्ता (पत्नी), तीन बेटियों और एक नाबालिग बेटे को छोड़ गए। उनकी मृत्यु के बाद, याचिकाकर्ता ने अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए आवेदन किया। उनके आवेदन पर कार्रवाई की गई और अंततः 22.7.2005 के आदेश द्वारा उसे खारिज कर दिया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(3) एकल न्यायाधीश के समक्ष उत्तरवादीगण का तर्क था कि भारत सरकार और भारतीय बैंक संघ से प्राप्त दिशा-निर्देशों के अनुसार अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए एक योजना है, जिसके अनुसार, ऐसी नियुक्ति देने से पहले परिवार की वित्तीय स्थिति का निर्धारण सक्षम प्राधिकारियों द्वारा किया जाता है और यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि मृतक का परिवार गरीबी में नहीं है और परिवार की मासिक आय, उसके आकार के अनुसार, कर्मचारी की मृत्यु के कारण उत्पन्न तत्काल वित्तीय संकट से निपटने के लिए पर्याप्त है, तो अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए आवेदन स्वीकार नहीं किया जा सकता है। उन्होंने विशेष रूप से तर्क दिया कि याचिकाकर्ता के मामले में, मृतक कर्मचारी के परिवार में 5 आश्रित सदस्य थे; उन्हें ₹62,760/- भविष्य निधि, ₹28,147/- ग्रेच्युटी

और ₹12,839/- अवकाश नकदीकरण सहित सेवांत लाभ दिए गए हैं। उपरोक्त के अलावा, याचिकाकर्ता के परिवार को क्रेडिट सोसाइटी से ₹70,600/- की राशि प्राप्त हुई और परिवार को ऋण देनदारियों के लिए ₹16,815/- की कटौती के बाद ₹1,57,531/- भी प्राप्त हुए हैं। उन्होंने आगे तर्क दिया कि याचिकाकर्ता के परिवार को ₹1677/- प्रति माह रक्षा परिवार पेंशन भी दी जा रही है और इसलिए, उक्त योजना के खंड 10 के अनुसार, याचिकाकर्ता के परिवार की अनुमानित मासिक आय ₹2,798/- आंकी गई। प्राधिकारियों ने निर्धारित किया कि मृतक पति ने 5,719/- रुपये का अंतिम सकल वेतन प्राप्त किया था और विभिन्न कटौतियों के बाद शुद्ध वेतन 3,577/- रुपये था और मृतक के छह सदस्यों वाले परिवार का प्रबंधन 3,657/- के घर ले जाने वाले वेतन से किया जाता था, इसलिए, वर्तमान स्थिति में, 5 सदस्यों के परिवार का प्रबंधन निश्चित रूप से ऊपर गणना की गई मासिक आय से किया जाएगा, इसलिए, आवेदन को यह कहते हुए खारिज कर दिया गया कि मृतक का परिवार गरीबी में नहीं था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(4) विद्वान एकल न्यायाधीश ने योजना के खंड 10 के प्रावधानों के संदर्भ में उपरोक्त आधारों पर विचार करते हुए यह निष्कर्ष दर्ज किया कि प्राधिकारी सही रूप से इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि मृतक का परिवार स्वयं का भरण-पोषण करने के लिए पर्याप्त आय अर्जित करता है, इसलिए, याचिकाकर्ता योजना के खंड 10 के प्रावधानों के अनुसार अनुकंपा नियुक्ति का हकदार नहीं है।

(5) अपीलकर्ता के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने मामले को ठीक से नहीं निपटाया है और मृतक की मृत्यु के कारण उसके परिवार पर अचानक पड़े वास्तविक वित्तीय भार से उत्पन्न कठिनाई पर विचार नहीं किया है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि यह आदेश अनुकंपा नियुक्ति के प्रावधानों की भावना के विरुद्ध है, जो सेवाकाल के दौरान मृत कर्मचारी के परिवार को वित्तीय सहायता और सहारा देने के लिए बनाया गया है।

(6) दूसरी ओर, उत्तरवादीगण के अधिवक्ता ने इन तर्कों का विरोध किया और विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश का समर्थन किया।

(7) हमने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को विस्तार से सुना है तथा रिट अपील के अभिलेखों का भी विवेचन किया है।

(8) यह विवादित नहीं है कि वर्तमान मामले में, अनुकंपा नियुक्ति के मामले पर मृतक कर्मचारियों/चिकित्सा आधार पर सेवानिवृत्त कर्मचारियों के आश्रितों के लिए अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति की योजना (आदेश में योजना के रूप में संदर्भित) के अनुसार विचार किया जाना है और योजना के अलावा किसी भी प्राधिकारी के विवेक पर कुछ नहीं किया जा सकता है। योजना के खंड 1 में कहा गया है कि अनुकंपा नियुक्ति देने का उद्देश्य परिवार को एकमात्र कमाने वाले की मृत्यु के कारण अचानक उत्पन्न संकट से उबरने में सक्षम बनाना है। किसी कर्मचारी की मात्र मृत्यु से उसके परिवार को आजीविका के ऐसे स्रोत का अधिकार नहीं मिल जाता। इसका उद्देश्य अनुकंपा नियुक्ति तभी प्रदान करना है जब बैंक इस बात से संतुष्ट हो कि परिवार की आर्थिक स्थिति ऐसी है कि रोजगार के प्रावधान के बिना परिवार संकट का सामना नहीं कर पाएगा। यह खंड ***उमेश कुमार नागपाल बनाम हरियाणा राज्य, जे.टी. 1994 (3) एस.सी. 525*** के मामले में दिए गए सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का भी संदर्भ देता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(9) योजना खंड-10 परिवार की वित्तीय स्थिति से संबंधित है। यह इस प्रकार है:-

"10. परिवार की वित्तीय स्थिति:

सार्वजनिक सेवाओं में नियुक्तियाँ केवल खुले आवेदन और योग्यता के आधार पर की जाती हैं। हालाँकि, सेवाकाल के दौरान मृत्यु को प्राप्त होने वाले और अपने परिवार को गरीबी और आजीविका के बिना छोड़ जाने वाले कर्मचारियों के आश्रितों के लिए अपवाद रखा गया है। इसलिए, अनुकंपा नियुक्ति के प्रस्तावों पर निर्णय लेने के लिए

परिवार की आर्थिक स्थिति का निर्धारण एक महत्वपूर्ण मानदंड है। परिवार की आर्थिक स्थिति निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित कारकों पर विचार किया जाना चाहिए:

(i) पारिवारिक पेंशन

(ii) प्राप्त अनुग्रह राशि

(iii) कर्मचारी/नियोक्ता का भविष्य निधि में योगदान

(iv) बैंक द्वारा कल्याण निधि से दी गई किसी भी प्रकार की प्रतिकर राशि

(v) मृतक कर्मचारी की जीवन बीमा निगम की पॉलिसियों और अन्य निवेशों से प्राप्त आय

(vi) परिवार की अन्य स्रोतों से आय

(vii) रोजगार या अन्य स्रोतों से परिवार के अन्य सदस्यों की आय

(viii) परिवार का आकार और परिवर्तनीय देनदारियाँ, यदि कोई हों"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(10) बैंक द्वारा दाखिल जवाब दावा के अनुसार, धारा 10 के प्रावधानों के अनुसार आय की गणना परिवार की वित्तीय स्थिति का पता लगाने के आशय से की गई है और अंततः आश्रितों द्वारा प्राप्त सेवान्तप्रसुविधाओं के बारे में विवरण देने के साथ-साथ उन्हें दिए जा रहे पेंशन लाभों के बारे में भी जानकारी दी गई है, एक काल्पनिक मासिक आय निर्धारित की गई है और आज की स्थिति में परिवार की आय और मृतक के घर ले जाने वाले वेतन की तुलना की गई है और यह निष्कर्ष दर्ज किया गया है कि आज के समय में मौजूद परिवार के सदस्यों की संख्या को देखते हुए, वर्तमान वित्तीय लाभ मृतक के परिवार का प्रबंधन करने के लिए आनुपातिक रूप से पर्याप्त हैं और उसके बाद ही अपीलकर्ता/याचिकाकर्ता द्वारा दायर आवेदन को खारिज कर दिया गया है।

(11) ***भारतीय स्टेट बैंक एवं अन्य बनाम सोमवीर सिंह, जे.टी. 2007 (3) एससी 398*** के मामले में, न्यायिक पुनर्विलोकन के दायरे पर विचार करते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने यह

निर्णय दिया कि उच्च न्यायालयों को यह तय करने का कोई अधिकार नहीं है कि परिवार के जीवनयापन के लिए पर्याप्त उचित आय क्या होगी और क्या वह गरीबी में या आजीविका के किसी साधन के बिना रह गया है। उक्त मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने टिप्पणी की कि उच्च न्यायालय केवल एक ही प्रश्न पर ध्यान दे सकता था, वह यह कि क्या अनुकंपा नियुक्ति के लिए उत्तरवादी के दावे को खारिज करने की निर्णय प्रक्रिया दोषपूर्ण है? क्या यह आदेश अपीलकर्ता बैंक द्वारा तैयार की गई योजना के अनुरूप नहीं है? सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि यह सर्वविदित है कि आश्रित की कठिनाई किसी को योजना या वैधानिक प्रावधानों के अलावा अनुकंपा नियुक्ति का हकदार नहीं बनाती। आगे टिप्पणी करते हुए न्यायालय ने कहा कि योजना के अनुसार परिवार की सभी स्रोतों से होने वाली आय को ध्यान में रखा जाना चाहिए और फिर मामले पर निर्णय लिया जाना चाहिए। इस निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उमेश कुमार नागपा मामले (पूर्वोक्त) में दिए गए निर्णय का भी उल्लेख किया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(12) ***महाप्रबंधक (डी&पीबी) और अन्य बनाम कुंती तिवारी और अन्य (2004) 7 एससीसी 271***, के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि मृतक कर्मचारी के उत्तराधिकारियों द्वारा प्राप्त सेवा निवृत्ति लाभों पर विचार किया जाना चाहिए और फिर यह निर्धारित किया जाना चाहिए कि क्या मृतक का परिवार गरीबी में या आजीविका के किसी भी साधन के बिना रह गया है।

(13) यदि हम वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में उपरोक्त सिद्धांतों को लागू करते हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता के आवेदन की योजना खंड 10 के प्रावधानों के अनुसार जाँच की गई है और याचिकाकर्ता के आवेदन पर विचार करते समय बैंक द्वारा खंड 10 में निर्धारित प्रत्येक आवश्यकता को पूरा किया गया है। न्यायिक समीक्षा के क्षेत्राधिकार में, हमें याचिकाकर्ता द्वारा दायर आवेदन की जाँच में बैंक प्राधिकारियों द्वारा की गई कोई अनियमितता या अवैधता नहीं मिलती है। खंड 10 के तहत अपेक्षित आय के

प्रत्येक स्रोत पर स्पष्ट रूप से विचार किया गया है, जिसका उल्लेख आक्षेपित आदेश के पैरा 6 में किया गया है। इसलिए, इस आधार पर, प्राधिकारी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता।

(14) ***पंजाब नेशनल बैंक एवं अन्य बनाम अश्विनी कुमार तनेजा (2004) 7 एससीसी 265*** के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति भर्ती का स्रोत नहीं है, बल्कि योग्यता के आधार पर आवेदन के खुले निमंत्रण पर नियुक्तियां करने की आवश्यकता का एक अपवाद मात्र है। मूल आशय यह है कि संबंधित कर्मचारी की मृत्यु होने पर उसका परिवार आजीविका के साधन से वंचित न हो। इसका उद्देश्य परिवार को अचानक आए वित्तीय संकट से उबरने में सक्षम बनाना है। सर्वोच्च न्यायालय ने ***आई.जी. (कार्मिक) एवं अन्य बनाम प्रहलाद मणि त्रिपाठी (2007) 6 एससीसी 162*** के मामले में आगे कहा कि सार्वजनिक रोजगार को संपत्ति माना जाता है। संवैधानिक योजना के अनुसार इसे वंशानुक्रम पर नहीं दिया जा सकता। जब सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ऐसा अपवाद बनाया गया है, तो उसका कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति केवल कमाने वाले की मृत्यु के कारण परिवार को होने वाली तात्कालिक कठिनाई को पूरा करने के लिए दी जाती है। जब अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति की जाती है, तो उसे केवल उस उद्देश्य तक ही सीमित रखा जाना चाहिए जिसकी प्राप्ति हेतु वह प्रयास कर रही है, न कि अनंत अनुकंपा प्रदान करने के उद्देश्य से।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(15) इसलिए, यह स्पष्ट है कि राज्य के अधीन सार्वजनिक रोजगार और सार्वजनिक पद पर नियुक्ति के मामले में अवसर की समानता के संबंध में संवैधानिक अधिदेश के आधार पर, कोई भेदभाव संभव नहीं है और अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति उपरोक्त सिद्धांत का अपवाद है कि सार्वजनिक सेवाओं में भर्ती पारदर्शी और जवाबदेह तरीके से की जानी है, जिससे पात्र व्यक्तियों को समान अवसर प्रदान किया जा सके और यदि नियोक्ता अपवाद

के तहत किसी मामले पर विचार कर रहा है तो उसे विशेष रूप से इसके लिए बनाए गए प्रावधानों के अनुसार निपटाया जाना चाहिए।

(16) वर्तमान मामले में, जैसा कि ऊपर कहा गया है, बैंक प्राधिकारियों ने याचिकाकर्ता के मामले पर विचार किया है तथा इसके लिए बनाए गए प्रावधानों को सख्त अर्थ दिया है तथा सामान्यता या विवेक के आधार पर याचिकाकर्ता के मामले पर विचार करना संभव नहीं होगा। विद्वान एकल न्यायाधीश ने सही माना है कि प्राधिकारियों ने उचित निर्णय लिया है और याचिकाकर्ता द्वारा दायर याचिका को सही ढंग से खारिज किया है। हमें विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं दिखता।

(17) अपील गुणविहीन है तथा इसे तदनुसार खारिज किया जाता है।

(18) वाद व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं.

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-
मुख्य न्यायाधीश

सही/-
सुनील कुमार सिन्हा
न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated By - Shubham Verma